

फार्म अ

(परिपत्र दो - की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश - पत्र (रेव्यू आर्डर शीट)

न्यायालय अनु0अधिकारी (रा.)तिल्दा-नेवरा मामला क्रमांक वर्ष 2024-25

विषय - वृक्ष कटाई के संबंध में। प्रकरण की श्रेणी - अ-62

ग्राम भरुवाडीह खुर्द बन्दोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का नं. 33 तहसील- खरोरा

कलेक्टर का क्रमांकसन् 20 अनुविभागिय अधिकारी का क्रमांक.....सन्20

तहसीलदार का क्रमांक सन् 20 नायब तहसीलदार का क्रमांक.....सन् 20

आदेश अथवा
कार्यवाही की
तारीख और
स्थान
(1)

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही

20250511500051/अ-62 वर्ष 2024-25

जहां आवश्यक हो, पक्षों
अथवा वकीलों, के हस्ता.
आदेशों का पालन करने
वाले लिपिक के संक्षिप्त
हस्ताक्षर और ऐसे पालन
की तारीख
(3)

26/05/25

आवेदक गीतादेवी नारंग पति श्री होमन लाल नारंग निवासी ग्राम
भरुवाडीह खुर्द तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा अपने स्वामित्व
हक की भूमि ग्राम भरुवाडीह खुर्द प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. मोहरेंगा तहसील
खरोरा जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नंबर 50, 51 रकबा 0.162,
0.121 हे. भूमि पर उगे 362 नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति प्रदान
करने हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

2/-प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे।

3/- प्रकरण में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का बी-1, खसरा पांचशाला
की प्रति प्रस्तुत नहीं किया है, आवेदक को विधिवत समस्त दस्तावेज सहित
आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, पश्चात् आवेदक
का आवेदन पत्र खारिज किया गया। प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं।
प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में जमा करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तिल्दा-नेवरा (छ.ग.)
जिला-रायपुर (छ.ग.)